पत्र संख्या- विधि-2 (1)जाब वर्क/(2015-16)- 2329 /151606। /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::20 जनवरी, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विविध-जॉब वर्क-22-(2000-2001)स0के02091/व्यापार कर, दिनांक 17-2-2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जाबवर्क करने वाले व्यापारियों/व्यक्तियों के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गई है।

2- उपरोक्त परिपत्र द्वारा जाब वर्क करने वाले व्यापारियों/व्यक्तियों के लिए जाबवर्क हेतु प्रान्त के बाहर से माल मॅगाने के लिए तथा जॉब वर्क के उपरान्त निर्मित/तैयार माल प्रान्त के बाहर भेजने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा यह प्रक्रिया पूर्णरुप से एक प्रशासनिक व्यवस्था है एवं केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू की गई है जो इस व्यवस्था के अधीन दिए गए निर्देशों के तहत कार्य करने हेतु पूर्ण रुप से सहमत हों। प्रश्नगत प्रशासनिक व्यवस्था तत्समय लागू व्यापार कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन कराए जाने हेतु लागू की गई थी। प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू होने एवं सहायता केन्द्रों की समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त व्यवस्था का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर विधि समिति द्वारा किया गया। परीक्षण पर पाया गया कि उक्त परिपत्र द्वारा लागू व्यवस्था अभी तक अतिक्रमित नहीं की गई है। अत: मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 81 के प्राविधानों से रक्षित है। प्रदेश में वर्तमान में जॉच चौकियॉ समाप्त हो जाने के कारण आयात-निर्यात पत्र सम्बन्धी व्यवस्था का अनुश्रवण करं निर्धारण अधिकारी के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार आयात-निर्यात पत्र के सम्बन्ध में अनुश्रवण हेतु व्यवस्था निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

आयात-निर्यात पत्र के माध्यम से जाब वर्क हेतु माल आयात किए जाने के उपरान्त आयातक व्यापारी/व्यक्ति द्वारा आयात पत्र की मूल एवं द्वितीय प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष माल प्राप्ति के उपरान्त अगले 24 घन्टों / एक कार्यदिवस में प्रस्तुत की जाएगी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसका इन्द्राज खण्ड स्तर पर इस आशय हेतु रखे गए रजिस्टर में करते हुए मूल प्रति कर्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखी जाएगी एवं द्वितीय प्रति पर प्राप्तिस्वरुप नाम व पदनाम की मोहर अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर सम्बन्धित व्यापारी/व्यक्ति को प्राप्त करायी जाएगी।

जाब वर्क करने के उपरान्त जाब वर्क करने वाला व्यक्ति/व्यापारी निर्मित/तैयार माल प्रान्त बाहर प्रेषित करते समय जाब वर्क निर्यात पत्र की क्र0सं0-6 से 9 तक की प्रविष्टियाँ पूर्ण करके तथा यथास्थान पर अपने हस्ताक्षर करके निर्यात पत्र की मूल प्रति तथा द्वितीय प्रति माल ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त करायी जाएगी एवं कर निर्धारण अधिकारी इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच/मिलान करके संतुष्ट होने पर मूल प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखते हुए द्वितीय प्रति पर उपरोक्तानुसार नाम व पदनाम की मोहर सहित दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर सम्बन्धित व्यापारी/व्यक्ति को प्राप्त करायेंगे। सम्बन्धित व्यापारी/व्यक्ति यह द्वितीय प्रति वाहन इंचार्ज/स्वामी/ड्राइवर को प्राप्त करायेगा जो इसे परिवहन के दौरान माल के साथ अन्य सुसंगत अभिलेखों यथा जाब वर्क चालान, बिल आदि सहित लेकर चलेगा। सचल दल अधिकारी प्रान्त बाहर से जाब वर्क हेतु आने वाले माल एवं जाब वर्क के उपरान्त प्रान्त बाहर भेजे जाने वाले माल एवं ऊपर उल्लिखित जाब वर्क आयात-निर्यात पत्र एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की जॉच हेतु स्वतंत्र होगे।

3- उपरोक्त विषयक परिपत्र संख्या-590, दिनांक 17-2-2001, पत्र सं0-विविध- जॉबवर्क-22-(2000-2001)-सहा0के0/2091/व्यापार कर, दिनांक 17 फरवरी, 2001 के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उक्त परिपत्र के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे। यहाँ पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रक्रिया पूर्णरुप से एक प्रशासनिक व्यवस्था है और केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू की जा रही है, जो इस व्यवस्था के अधीन दिए गए निर्देशों के तहत कार्य करने हेतु पूर्णरुप से सहमत हैं।

समस्त अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेंगे।

19/01/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।